उपभोक्ता संरक्षण प्रक्रिया को मजबूत बनाने की आवश्यकता

जयपुर, 29 नवम्बर, 2011
''वर्तमान में खुले बाजार के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संरक्षण प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।'' उक्त विचार वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोडा ने आज 'कट्स' द्वारा होटल जयपुर पैलेस में आयोजित राज्य स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उक्त सम्मेलन 'कट्स' द्वारा भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान के 12 जिलों में संचालित ''ग्रासरूट रीचआउट एण्ड नेटवर्किंग इन राजस्थान थ्रू कन्ज्यूमर एक्शन'' नामक परियोजना के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।

श्री बोडा ने आगे कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून को बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, इस कानून का लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए था, उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए यह कानून बनाया गया है। अगर इतने वर्ष बाद भी इस कानून की पूरी तरह से पालना नहीं हो रही है, तो उपभोक्ता हितार्थ सक्रिय कार्यकर्ताओं एवं उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा ग्रासरूट पर भी प्रेशर ग्रुप तैयार करना होगा।

इससे पूर्व 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि इस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून की रजत जयंति मनाई जा रही है, किंतु अधिकतम उपभोक्ता आज भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उपभोक्ता मंचों में सेवानिवृत जजों की बजाय वर्तमान में कार्यरत जजों को नियुक्त करना चाहिए तथा उपभोक्ता परिषदों की बैठकें नियमित रूप से हो। राज्य में अभी तक उपभोक्ता निदेशालय की स्थापना नहीं हुई है, अतः शीघ्र ही उपभोक्ता निदेशालय की स्थापना हो ताकि उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दों को शीघ्र निपटाया जा सकें।

डॉ. पूनम पाण्डे, परियोजना एसोसिएट, जी.आई.जेड, नई दिल्ली उपभोक्ता सलाहकार नेटवर्क के बारे में बताया जी.आई.जेड. द्वारा तैयार किये गये सूचना प्रोद्योगिकी मंच के बारे में बताया। इस माध्यम के तहत देशभर के उपभोक्ताओं को सलाह व परामर्श दिया जाता हैं।

'कट्स' के वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक दीपक सक्सेना ने उक्त परियोजना के दो वर्षों की गतिविधियों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण करते हुए फील्ड सर्वे से प्राप्त निष्कर्षों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सर्वे से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार 63 प्रतिशत उपभोक्ता आज भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से अनजान है। अमरजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में विभिन्न कदम उठा रही है जो कि उपभोक्ता संरक्षण प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे।

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोडा ने स्वतन्त्र पत्रकार लखन साल्वी को 'ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता' पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार में 10,000 रूपए का चैक व प्रशस्ति पत्र दिया।

कार्यक्रम में 12 जिलों के परियोजना सहयोगी संस्थाओं, मीडिया, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से 60 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में अमरजीत सिंह ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:
अमरजीत सिंह (98290 15812)/धर्मेन्द्र चतुर्वेदी (941420 2868)
'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग
277, सिंधी कॉलोनी, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर–302 016, भारत
दूरभाषः 91–.5133259, 2282821/2282482, फैक्सः 91–141–4015395
ईमेलः granirca@cuts.org ; cart@cuts.org वेबसाइटः http:/www.cuts-international.org/cart/Granirca